कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

।। ज्ञापन ।।

क्रमांक/2602/ भू–बंटन/2019 जांजगीर, दिनांक 14/02/2019

प्रति,

मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड
ग्राम बाड़ादरहा तहसील डभरा
जिला जांजगीर–चांपा(छ.ग.)

विषयः– मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड को जिले जांजगीर–चांपा के अंतर्गत 1200 मेगावाट आई.पी.पी. तहसील डभरा जिला जांजगीर–चांपा के रकबा 5.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु वन भूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम प्रावधान अनुसार ग्राम सभा का प्रमाण पत्र एवं कलेक्टर का वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–ब एवसं प्रदर्श– स प्रदान किये जाने बाबत्।

विषयांतर्गत आपके द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र पदर्श ''स'' की मांग की गई है।

प्रमाण पत्र पदर्श ''स'' इस ज्ञापन के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अपर कलेक्टर
जांजगीर–चाम्पा

Scanned by CamScanner

प्रदर्श–"स"

प्रारूप–1
कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
प्रमाण पत्र

क्रमांक/2601/एफ.आर.ए/2019, जांजगीर, दिनांक 14-2-19

मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड बाड़ादरहा को 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के परियोजना विस्तार हेतु जांजगीर चांपा जिले के डभरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बाड़ादरहा के राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 5.000 हे0 राजस्व वन भूमि प्रकरण मे अनूसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है, कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 मे नियत संपूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारो को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि ग्राम बाड़ादरहा की कुल खसरा नं. 779/1 कूल रकबा 25.008 हे. में से 5.000 हे. व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम बाड़ादरहा तहसील डभरा मे स्थित है, मे तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	खसरा नं0	रकबा	मद
01	779/1	5.000 हे.	छोटे बड़े झाड़ का जंगल
योग	**01**	**5.000 हे.**	

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23.01.2018 ग्राम पंचायत बाड़ादरहा (प्रदर्श "ब") एवं अनुभाग (उपखण्ड) स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.08.2018 एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 18.10.2018 (प्रदर्श "अ") प्रदर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव बाड़ादरहा ग्राम के श्री. समयलाल यादव की अध्यक्षता मे हुई ग्राम सभा की बैठक दिनॉक 23.01.2018 मे रखा गया था, जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण की पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाइस हिंदी एवं स्थानीय भाषा मे दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र मे उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है, कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये है, वह ग्राम सभा द्वारा लिया गया है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुभाग स्तरीय समिति का प्रस्ताव दिनॉक 09.08.2018 एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 18.10.2018 तथा ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनॉक 23/01/2018 अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समुह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है। जिनका वन अधिकार "अधिसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. अनुभाग स्तरीय समिति एवं ग्राम सभा के संकल्पो के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति
जिला जांजगीर चांपा

01

Scanned by CamScanner

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, जिला जांजगीर–चांपा
//बैठक कार्यवाही विवरण//

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत ग्राम पंचायत बाड़ादरहा में मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड को 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुभाग (उपखण्ड) स्तरीय वन अधिकार समिति, डभरा, जिला जांजगीर–चांपा की बैठक एवं निरीक्षक की कार्यवाही विवरण दिनांक 09.08.2018 के अनुसार जिला स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क0	खसरा नं0	रकबा	मद
01	779/1	5.000 हे.	छोटे बड़े झाड़ का जंगल
योग	**01**	**5.000 हे.**	

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु दिनांक 04.02.2019 को जिला स्तरीय समिति की बैठक कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा में आयोजित की गई, बैठक में श्री ए.के. घृतलहरे, अपर कलेक्टर जांजगीर–चांपा, श्री एच.आर. चौहान सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जांजगीर–चांपा, श्री अजित साहू, जिला पंचायत सदस्य, श्री श्रवण कुमार सिदार जिला पंचायत सदस्य तथा वन मण्डलाधिकारी चाम्पा के प्रतिनिधि श्री बंशीलाल साहू बैठक में उपस्थित रहे।

अनुभाग स्तरीय समिति का प्रस्ताव दिनांक 09.08.2018 एवं स्थल निरीक्षण पंचनामा दिनांक 18.10.2018 तथा ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 23.01.2018 अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है। जिनका वन अधिकार "अधिसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

जिला स्तरीय समिति की बैठक में अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा सूक्ष्मता से परीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम बाड़ादरहा तहसील डभरा स्थित भूमि ख.नं. 779/1 में से रकबा 5.000 हेक्टेयर में छोटे बड़े झाड़ के जंगल राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है। वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी हितग्राहियों को पट्टा नहीं दिया गया है। वर्तमान में भूमि रिक्त है।

04/02/19

अपर कलेक्टर
जांजगीर–चांपा

Scanned by CamScanner